''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2007—पौष 29, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-11/2006/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रु. 10650-325-15850) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल (2003)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले (2003)	अपर कलेक्टर, रायपुर	अपर कलेक्टर, रायपुर
3.	श्रीमती रितु सैन (2003)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-12/2006/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 15100-400-18300) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्रीमती निधि छिब्बर (1994)	संचालक, खनिज एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.	संचालक, खनिज एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.
2.	श्री विकास शील (1994)	प्रबंध संचालक, भण्डार गृह निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, नागरिक, आपूर्ति निगम.	प्रबंध संचालक, भण्डार गृह निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम.
3.	श्री एम. के. पिंगुआ (1994)	कलेक्टर, सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
4.	श्री जी. एस. मिश्रा (1994)	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर

2. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. (सीजी : 1994), जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (सीजी : 1994) के प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 15100-400-18300) में पदोन्नति की दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-13/2006/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अजयपाल सिंह (1986)	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
2.	श्रीमती रेणु जी. पिल्ले (1991)	विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक बजट, संचालक, संस्थागत वित्त एवं विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक बजट, संचालक, संस्थागत वित्त एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री अवध बिहारी (1991)	विशेष सचिव, वित्त विभाग	सचिव, वित्त विभाग
4.	श्री मंशाराम ठाकुर (1991)	सचिव, लोक आयोग	सचिव, लोक आयोग
5.	श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा (1991)	कलेक्टर, जशपुर	कलेक्टर, जशपुर
6.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा (1991)	कलेक्टर, राजनांदगांव	कलेक्टर, राजनांदगांव

2. श्री मंशाराम ठाकुर, श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा एवं श्री आर. एस. विश्वकर्मा द्वारा पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत सचिव, लोक आयोग, कलेक्टर, जशपुर एवं कलेक्टर, राजनांदगांव के पद को असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-15/2004/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने अधिसूचना क्रमांक 13011/32/2000-AIS (I) दिनांक 01-11-2001 द्वारा श्री पंकज द्विवेदी, भाप्रसे (ऐपी : 1975) को आन्ध्र प्रदेश राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए अत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौंपी थी. अब भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने आदेश क्रमांक 22012/35/2005-AIS (I), दिनांक 04-01-2007 द्वारा श्री पंकज द्विवेदी, भाप्रसे (A. P-1975), की अत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त करते हुए, उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य से आन्ध्र प्रदेश राज्य में वापस लौटाने के आदेश पारित किये हैं. अतएव श्री पंकज द्विवेदी, भाप्रसे (A. P-1975), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य संवर्ग में तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है तथा श्री पंकज द्विवेदी अपना कार्यभार श्री बी. के. एस. रे को सौंपकर तत्काल कार्यमुक्त होंगे.

2. श्री बी. के. एस. रे, भाप्रसे (सीजी : 1972), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन तथा विमानन विभाग एवं परिवहन आयुक्त, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/8/2006/1/2.—श्री अविनाश चम्पावत, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को दिनांक 19-12-2006 से 06-01-2007 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 18 दिसम्बर, 2006 तथा दिनांक 07-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चम्पावत आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश-काल में श्री चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चम्पावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2007

फा. क्र. 253/डी-3351/21-ब/छ. ग./06.—भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 967/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 07-06-06 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्रों के लिए अनुसूची (2) में विनिर्दिष्ट किये गये विशेष न्यायालयों का गठन करती है तथा अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट न्यायाधीशों को उक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है :-

क्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
1.	रायपुर	रायपुर राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
2.	राजनांदगांव	राजनांदगांव राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3.	बिलासपुर	बिलासपुर राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
4.	अंबिकापुर (सरगुजा)	अंबिकापुर राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
5.	जगदलपुर (बस्तर)	जगदलपुर राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
6.	कबीरधाम	कबीरधाम राजस्व जिला	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
7.	धमतरी	धमतरी राजस्व जिला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
8.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) राजस्व जिला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
9.	कोरबा	कोरबा राजस्व जिला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
10.	कांकेर	कांकेर राजस्व जिला	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
11.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा राजस्व जिला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
12.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर) राजस्व जिला	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
13.	दुर्ग	दुर्ग राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
14.	रायगढ़	रायगढ़ राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
15.	जशपुर	जशपुर राजस्व जिला	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
16.	महासमुंद	महासमुंद राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

Raipur, the 5th January 2007

F. No. 253/3351/XXI-B/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, and in supersession of this Department's Notification No. 967/XXI-B/06, dated 7-6-2006 hereby constitutes the Special Courts specified in column (2) of the schedule below in relation to the areas in the corresponding entries in column (3) thereof and appoints the Judges specified in Column (4) of the said schedule as Presiding Officer of the Special Courts for the purposes of aforesaid Act, namely :-

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
1.	Raipur	Raipur Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
3.	Bilaspur	Bilaspur Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
4.	Ambikapur (Sarguja)	Ambikapur Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
5.	Jagdalpur (Bastar)	Jagdalpur Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
6.	Kabeerdham Kawardha	Kabeerdham Revenue District	District & Sessions Judge
7.	Dhamtari	Dhamtari Revenue District	Additional District & Sessions Judge.
8.	Dakshin Bastar (Dantewada)	Dakshin Bastar (Dantewada) Revenue District.	Additional District & Sessions Judge.
9.	Korba	Korba Revenue District	Additional District & Sessions Judge.
10.	Kanker	Kanker Revenue District	District & Sessions Judge
11.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa Revenue District	Additional District & Sessions Judge.
12.	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur) Revenue District	District & Sessions Judge
13.	Durg	Durg Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
14.	Raigarh	Raigarh Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
15.	Jashpur	Jashpur Revenue District	Additional District & Sessions Judge.
16.	Mahasamund	Mahasamund Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

फा. क्र. 320/3262/21-ब/06.—राज्य शासन श्री सफीर अहमद खान, नोटरी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को जिन्हें इस विभाग के आदेश क्र. 6652/4251/21-ब/छ. ग., दिनांक 16-10-2003 द्वारा डोंगरगांव में नोटरी के व्यवसाय करने हेतु 05 वर्ष के लिये नियुक्त किया गया है.

चूंकि श्री सफीर अहमद खान, नोटरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच विहित रूप में की गई और श्री सफीर अहमद खान, नोटरी, डोंगरगांव को नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के अनुसार जांच उपरान्त राज्य शासन का यह समाधान हो गया है, की वे गंभीर कदाचरण के दोषी हैं.

अत: नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के अनुसार श्री सफीर अहमद खान नोटरी डोंगरगांव जिला राजनांदगांव का नाम धारा 4 के अधीन रखे जाने वाले नोटरी रजिस्टर से एतद्द्वारा हटाया जाता हैं.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 321/10/21-ब/छ. ग./2007.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा-9 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 20/डी-4556/21-ब/छ. ग./2003, दिनांक 02-01-2004 एवं क्र. 7185/डी-2968/21-ब/छ. ग./04, दिनांक 07-12-2004 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करती है, जो निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा.

अनुसूची

क्र.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	राजस्व जिलों के लिए
1.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4.	धमतरी	धमतरी
5.	दुर्ग	दुर्ग
6.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा
7.	जशपुर	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महामसुंद	महासमुंद
12.	रायगढ़	रायगढ़
13.	रायपुर	रायपुर
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Raipur, the 6th January 2007

No. 321/10/21-B/C. G./2007.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987) and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh and in supersession of the previous Notification No. 20/D-4556/21-B/C. G./2003 dated 02-01-2004 and Notification No. 7185/D-2968/21-B/C. G./04, dated 07-12-2004, the State Government hereby constitute an authority known as District Legal Service Authority as the following Schedule :-

SCHEDULE

S. No.	District Legal Services Authority	For the Revenue Districts of
1.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)
2.	Bilaspur	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar (Dantewara)	Dakshin Bastar (Dantewara)
4.	Dhamtari	Dhamtari
5.	Durg	Durg
6.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
7.	Jashpur	Jashpur
8.	Kabeerdham (Kawardha)	Kabeerdham (Kawardha)
9.	Korba	Korba
10.	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur)
11.	Mahasamund	Mahasamund
12.	Raigarh	Raigarh
13.	Raipur	Raipur
14.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1503/1432/06/स्था/चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से देना बैंक की शाखाओं में शासकीय जमा काऊंटर खोला जाना है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा देना बैंक की निम्नलिखित शाखाओं को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :-

1. देना बैंक शाखा, अभनपुर, जिला रायपुर
2. देना बैंक शाखा, बसंना, जिला महासमुंद
3. देना बैंक शाखा, बेरला, जिला दुर्ग
4. देना बैंक शाखा, पिथौरा, जिला महासमुंद
5. देना बैंक शाखा, धरसींवा, जिला रायपुर
6. देना बैंक शाखा, गुंडरदेही, जिला दुर्ग
7. देना बैंक शाखा, खरोरा, जिला रायपुर
8. देना बैंक शाखा, नवापारा राजिम, जिला रायपुर
9. देना बैंक शाखा, पाटन, जिला दुर्ग
10. देना बैंक शाखा, थान खम्हरिया, जिला दुर्ग

Raipur, the 22nd December 2006

No. 1503/1432/06/Est./IV.—Government deposit counters have to be opened in the branches of Dena Bank with a view to facilitate the local residents. Hence, the State Government do hereby authorise government transaction with the following branches of Dena Bank :-

1. Dena Bank branch, Abhanpur, Distt. Raipur
2. Dena Bank branch, Basna, Distt. Mahasamund
3. Dena Bank branch, Berla, Distt. Durg
4. Dena Bank branch, Pithora, Distt. Mahasamund
5. Dena Bank branch, Dharsiva, Distt. Raipur
6. Dena Bank branch, Gunderdehi, Distt. Durg
7. Dena Bank branch, Kharora, Distt. Raipur
8. Dena Bank branch, Nawapara, Rajim, Distt. Raipur
9. Dena Bank branch, Patan, Distt. Durg
10. Dena Bank branch, Thankhamaria, Distt. Durg

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2007

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./06.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर/बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित मार्गों को मंजिली गाड़ी संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है :-

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्हाया (3)
1.	पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़	सिवनी, बरौर, कोडा, लेदरी
2.	पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़	धनपुर, भरीडांड, दानीकुण्डी, जरौधा, नारायणपुर, देवाडांड, लेदरी
3.	सोनमुडा से मनेन्द्रगढ़	सिवनी, मरवाही, बरैर, कोडा, लेदरी
4.	बैंकुठपुर से जनकपुर	बरबसपुर, कौतिया, मनेन्द्रगढ़, केल्हारी, बैसाखी
5.	मुरकिल से माडीसरई	कोटाडोल, रापा, भगवानपुर, जनकपुर, देवगढ़
6.	मुरकिल से कुवारपुर	कोटाडोल, रापा, भगवानपुर, जनकपुर, बैरांसी, रामगढ़
7.	जनकपुर से बैंकुण्ठपुर	कोटोडोल, रापा, कोटाडोला, देवसिल, कटवाल, रामगढ़, सोनहदा
8.	तिलोखन से केल्हारी	डोडकी, सिरीपुर, मनवारी, कोठी, बिजुरी, राजनगर, खोंगापानी, झगसखांड, मनेन्द्रगढ़, घुटरा, कछौड़, राझी.
9.	मनेन्द्रगढ़ से राजेन्द्रग्राम	आमाडांड, बरौर, मरवाही, दानीकुण्डी, कोटमी, पेण्ड्रारोड, पोडकी
10.	मनेन्द्रगढ़ से केशवाही	केल्हारी, बैसाखी, कुवारपुर, रामगढ़, जैतपुर
11.	पेण्ड्रारोड से केशवाही	सिवनी, मालाडांड, कोतमा, कालरी, कोतमा
12.	पेण्ड्रारोड से केशवाही	पेण्ड्रा, कोटमी, दानीकुण्डी, मरवाही, आमाडांड, राजनगर, बिजुरी, कपिलधारा, कोतमा.
13.	कोरबा से डिडोरी	कटघोरा, तुमान, जटगा, लैंगा, पसान, कोटमी, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केंवची, अमरकंटक, करपारा.
14.	पेण्ड्रारोड से बजाग	पोंडकी, अमरकंटक, करपारा
15.	कपिलधारा से शिवरीनारायण	राजनगर, झरियाटोला, आमाडांड, बरोर, बरटोला, मरवाही, दानीकुण्डी, कोटमी, पेण्ड्रा, केंदा, रतनपुर, बिलासपुर.
16.	बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़	खोंगापानी, लेदरी, भवना, सारबेहरा, बेलझरिया, बरोर, बरटोला, मरवाही, सिवनी, पेण्ड्रा, कारीआम, केंदा, बेलगहना, रतनपुर.
17.	बैंकुण्ठपुर से बिलासपुर	दानीकुण्डी, कोटमी, पेण्ड्रा, रतनपुर
18.	चिरमिरी से शिवरीनारायण	दुगछोला, झरोंदा, देवाडांड, केंदा, बेलगेहना, रतनपुर, बिलासपुर
19.	पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़	सिवनी, आमाडांड, कोतमा, कालेरी, कोतमा, बिजुरी, राजनगर, खोंगापानी, लेदरी, झगराखांड.
20.	पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़	बैंकटनगर, आमाडांड, सिवनी, चोलना, पयारी, आमाडांड, राजनगर, रामनगर
21.	पेण्ड्रारोड से सक्ति	पेण्ड्रा, कोटमी, पसान
22.	पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़	बैंकटनगर, आमाडांड, सिवनी, मरवाही, बरोर, कोडा, लेदरी
23.	पेण्ड्रारोड से कटघोरा	कोरबी, चोटिया
24.	पेण्ड्रारोड से हरदीबाजार	कोरबी, कटघोरा
25.	पेण्ड्रारोड से मुंगेली	पेण्ड्रा, केंदा, बेलगेहना, करगीरोड, लोरमी, मुंगेली
26.	पेण्ड्रारोड से लोरमी	पेण्ड्रा, केंदा, लमनी, छपराव
27.	मरवाही से लोरमी	दानीकुण्डी, कोटमी, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, पीपरखुटी, केंवची, लमनी, छपराव
28.	पेण्ड्रारोड से सीधी	केल्हारी
29.	पेण्ड्रारोड से रींवा	सिवनी, झालाडांड, कोतमा, कालरी, अनूपपुर, बुढार, शहडोल, जयसिंहनगर, गोविन्दनगर.
30.	सोनमुडा से लखनघाट	अमरकंटक, आमानाला, रूपनडांड, पेण्ड्रारोड, पेण्ड्रा, सिवनी

(1)	(2)	(3)
31.	मनेन्द्रगढ़ से शिवरीनारायण	झगराखांड, लेदरी, राजनगर, आमाडांड, मरवाही, दानीकुण्डी, कोटमी, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, खोडरी, कारीआम, केंदा, रतनपुर, बिलासपुर.
32.	सोनमुडा से कपिलधारा	अमरकंटक, कबीर, केंवची, पीपरखुंटी, पेण्ड्रारोड, सिवंनी, झालाडांड, कोतमा, कालरी, बिजुरी.
33.	सोनमुडा से कटघोरा	अमरकंटक, कबीर, केंवची, पेण्ड्रारोड, पेण्ड्रा, कोटमी, पसान, जटगा, तुमान
34.	सोनमुडा से कोरबा	अमरकंटक, कबीर, केंवची, पेण्ड्रारोड, पेण्ड्रा, कोटमी, पसान, लेंगा, जटगा, तुमान, कटघोरा.
35.	पेण्ड्रारोड से बीजाडांड	पेण्ड्रा, कोटमी, पसान, लेंगी, पोंडी
36.	पेण्ड्रारोड से कोटगार	पेण्ड्रा, कोटमी, पसान, पोंडी, पिपरिया
37.	डिडोंरी से कोरबा	गाडासरई, गोरखपुर, करपिया, अमरकंटक, पोंडकी, करंगरा, पेण्ड्रारोड, पेण्ड्रा, पसान, जटगा, तुमान, कटघोरा.
38.	उदयपुर से सलका (चिरवा)	तारा, प्रेमनगर
39.	सूरजपुर से चंदननगर	देवनगर, श्रीनगर, गुडापारा, प्रेमनगर
40.	कोतल से बलदेवनगर	नमना, प्रेमनगर, बकीरमा, सारसवाल, महेशपुर
41.	नमना से मेड़ली (नवापारा)	प्रेमनगर, खजरी, कंचनपुर, गोरीपुर
42.	सूरजपुर से बैंकुठपुर	कलुवा, गोविन्दपुर, बरहोल, तेंदुआ, छिंन्दीया, बुढ़ार, वासुदेवपुर, बड़गांव, पतरापाली.
43.	सिरमिना से पसांन	घोसदा, कोरबी, चोटिया, रानीअटारी, सेंदूरगढ़
44.	सूरजपुर से पेण्ड्रारोड	देवनगर, श्रीनगर, गणेशपुर, बड़ेसाल्ही, बचरा, पोंडी, रतनपुर, देवाडांड, जरोंध, दानीकुण्डी.
45.	कुमरता से कोरबा	कापू, खम्हार, धर्मजयगढ़, हाटी, करतला
46.	रायगढ़ से धनागढ़	कोतरा, कुरमापी, तारापुर, कुर्रा, पुटकापुरी, नवागारा, धनगांव, भूभुआ, सेमरा, कोतमरा, सुपा, कटली, बड़े भण्डार, चन्द्रपुर.
47.	बिलासपुर से पिथोरा	मल्हार, जोंधरा, लवन, कसडोल
48.	बिलासपुर से भरारी	मस्तुरी, मुलमुला
49.	बिलासपुर से सीपत	मस्तुरी, जयरामनगर, कोडिया
50.	मस्तुरी से बलोदा	जयरामनगर, कोडिया, सीपत, खम्हरिया, लुथरा
51.	सलकांनवागांव से तखतपुर	कोटा, ताडाअमने, केकती, दैजा, हरदी, बेलपान
52.	गिधोनामोछ से तखतपुर	कोटा, केतकी, दैजा, हरदी, बेलपान
53.	देवरहट से बिलासपुर	तखतपुर, काठाकोनी
54.	लोरमी से बिलासपुर	विजयपुर, बेलपान, तावतपुर, काठाकोनी
55.	मुंगेली से पण्डरिया	बोधापारा, फलवारी, रसपालपुर, गातापारा, बेजलपुर, बघमार, लेगरा, चिल्फी
56.	बिलासपुर से पिथोरा	मस्तुरी, मल्हार, जोंधरा, लवंग, कसडोल
57.	बाकीमोंगरा से चन्द्रपुर	उरगा, चांपा, उमरेली, जरवे, सक्ति, मालखरोंद, छपोरा, डभरा
58.	कछार से कोरबा	अजगरबहार, परसाभाटा, कोरबा
59.	बाल्को से चन्द्रपुर	कोरबा, चांपा, बाराद्वार, सक्ति, मालखरोंद, डभरा
60.	कटघोरा से जशपुरनगर	जमनीपाली, कोरबा, बाल्को, कोरकोमा, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी.
61.	दीपका से कुनकुरी	कोरबा, बाल्को, कोरकोमा, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, कांसाबेल, बन्दरचुआ
62.	स्यांग से सक्ति	बरपाली, कुदमुरा, हाटी, छाल, खरसिया
63.	पत्थलगांव से कांसाबेल	लूडेंग, डूमरबहार, तमता
64.	कोरबा से रायगढ़	रिस्दी, गोडी, नॉनबिर्रा, रामपुर, रीलो, छाल, टेडानवापार, घरघोड़ा, रामगढ़
65.	कोरबा से सीतापुर	बाल्को, कोरकोमा, पसरखेद, स्यांग, लक्ष्मीपुर, मीरगुडा, खम्हारकापू
66.	कोरबा से पत्थलगांव	बाल्को, कोरकोमा, पसरखेद, स्यांग, लक्ष्मीपुर, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव
67.	कोरबा से कोतबा	बाल्को, कोरकोमा, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लूडेंग, बागबहार, कोतबा
68.	कोरबा से लैलूंगा	बाल्को, कोरकोमा, परसखेद, स्यांग, दुर्गापुर, धर्मजयगढ़, सीसरींगा, कांया, लैलूंगा
69.	कोरबा से रायगढ़	कोरबागोडी, नॉनबिर्रा, रामपुर, रीलो, झाल, टेंडानवापारा, घरघोड़ा, पूंजीपतरा, रायगढ़.

(1)	(2)	(3)
70.	कोरबा से घरघोड़ा	कोरबा, उरगा, भेंसमा, करतला, हाटी, पुरगा, सामरसिंघा, गुमडा, घरघोड़ी
71.	कोरबा से जलडेगा	कोरकोमा, पसरखेद, कुदमुरा, हाटी, खटगांव, धर्मजयगढ़, मिरीगुडा, खम्हार
72.	जमनीपाली से नवाकेरा	कोरबा, बाल्को, कोरकोमा, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लूडेंग, बागबहारा, लवाकेरा.
73.	सूरजपुर से घोसरा	कलुआ, देवनगर, श्रीनगर, गुडापारा, बरबसपुर, पाठकपुर, चिरमी, बचरापोडी, सकरिया, सिंनमिना, सिमगा.
74.	सूरजपुर से कटघोरा	श्रीनगर, गोडापारा, प्रेमनगर, तारा, चोटिया, पोंडी, कटघोरा, छूरी
75.	सूरजपुर से कोरबा	श्रीनगर, गोडापारा, प्रेमनगर, तारा, चोटिया, मढ़ई, पोंडी, कटघोरा, छूरी
76.	बचरापोडी से बरतुंगा	रतनपुर, खडगंवा, दूबछोला, चिरमिरी
77.	सूरजपुर से बचरापोडी	कलूआ, श्रीनगर, गुडापारा, बरबसपुर, साल्ही, बचरा
78.	अंबिकापुर से उमेश्वरपुर	सिलफिली, विश्रामपुर, डेडरी, सपकरा, मानीचौक, गेतरा, महंगई, कालीपुर, नवापाराखुर्द, डिगींपारा, शंकरपुर, ललाती.
79.	अंबिकापुर से बरतुंगा	सिलफिली, विश्रामपुर, डेडरी, सपकरा, गेतरा, लेंहगामोड, सूरजपोंडी, श्रीनगर, कुडेली, बैंकुठपुर, अमरपुर, कोरिया, चिरामिरी.
80.	अंबिकापुर से तमनार	सीतापुर, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोडा
81.	तमनार से कांडी	घरघोड़ा, पत्थलगांव, सीतापुर, अंबिकापुर, राजपुर, रामानुजगंज, नगरहटारी, भवनाथपुर, टाउनसीक.
82.	पाली से कर्राकोडार	जतरा, नवापारा
83.	पटपरा से कोरबा	चेतमा, रंजना, दिपका, हरदीबाज़ार
84.	पाली से हरदीबाजार	रेंनपुर, चोडा, रेंकी
85.	पाली से गिधोरी	दिपका, हरदीबाजार, बलोदा, अकलतरा, पामगढ़, शिवरीनारायण
86.	पटपरा से जांजगीर	चेतमा, हरदीबाजार, बलोदा, जर्वे
87.	बिलासपुर से कनकी	सीपत, बलोदा, पहरिया, पनतोरा
88.	पीपरलोड मर्राकोना से बिलासपुर	बाबली, खरसोला, रमतला, उमरिया, ककेडी, धमनी
89.	बिलासपुर से पीपरलोड	सारागांव, धमनी, ककेडी, उमरिया, रमतला
90.	कुनकुरी से बिलासपुर	तपकरा, फरसाबहार, पंडरीपानी, बागबहारा, कोतवा, लैलूंगा, घरघोड़ा, छाल, खरसिया, सक्ति, चांपा, जांजगीर, अकलतरा.
91.	मुकडेगा से गंजियाडीह	पंडरीझरिया, कोल्हेनझरिया
92.	काल्हेनझरिया से सोनाजोरी	पंडरीझरिया
93.	तमता से कोलेनझरिया	फूलेना, पत्थलगांव, बाकारूमा, राजपुर, लैलूंगा, सुरंगपानी, कोतगा
94.	सुरंगपानी से जशपुर	काडोर, लूडेंग, बागबहारा, पण्डरीपानी, बन्दरचूआ, कुनकुरी
95.	पेण्ड्रारोड से बैंकुठपुर	कोटमी, दानीकुण्डी, जरोंधा, खडगंवा
96.	रामानुजगंज से भाला	महावीरगंज
97.	बिलासपुर से रामपुर	सीतप, खम्हरिया, सोंठी, बाईदा, उतरदा, रामपुर
98.	रामपुर से खम्हरिया	उतरदा, बोईदा, सौंठी
99.	कुडेली से चर्चा	बुढ़ार, बैंकुठपुर
100.	नीलूपारा से कोरबा	गारे, खम्हरिया, तमनार, रायगढ़, नंदेली, टुण्ड्री, आडेकेरा, भदरी, अडभार, तुमान, भेंसमा.
101.	धर्मजयगढ़ से सक्ति	कुडमकेला, घरघोड़ा, पूंजीपतरा, रायगढ़, भुपदेवपुर, चंपले, खरसिया, भदरी, अडभार.
102.	अंबिकापुर से पुंतुरलोंगरा	राजपुर, शंकरगढ़, डीपाडीह, लरंगी, भुलसी, कोसमी, करोंधा
103.	कापू से सीतापुर	जामकाली, चलता
104.	कापू से सीतापुर	जामकानी, बिलाईढ़ोडी, पेंत, कुनकुकुरी, कर्तकाली, सुद
105.	पाखनकोट से धर्मजैंयगढ़	कापू, खम्हार, मारीमुडा
106.	स्यांग से काराबेल	लक्ष्मीपुर, मरीगुडा, खम्हार, कापू, राजपुर, चलता, सीतापुर
107.	विश्रामपुर से कोरबा	कटघोरा, छूरी
108.	कटघोरा से सीपत	चेतमा, रंजना, तिवरता, दीपका, हरदीबाजार, बोईदा, अदराली, सोडी, खम्हरिया, सीमत.

(1)	(2)	(3)
109.	बैकुण्ठपुर से कटकोना	कुडेली, बासन
110.	शिवप्रसादनगर से जरोंधा	तेंदूआ, बम्हर, कसरा, बैंकुठपुर, डूबछोला, खडगंवा, देवाडांड, जरोंधा
111.	कोडा से बचरापोडी	देवाडांड, खंडगंवा, दुरछोला, बैंकुठपुर, खरोंधा, बडगांव
112.	सुनहत से भेंसवार	अमहर
113.	बेलिया से बैकुंठपुर	केसगंवा, सुन्दरपुर, लटमा, खरबत
114.	बैकुंठपुर से सूरजपुर	भखार, सत्तीपारा, कुडेली, कदमनाला, धरहोल, देवनगर, कृष्णपुर
115.	मरवाही से बैकुंठपुर	कोडा, पेण्ड्रा, खडगंवा, दुरछोला
116.	चर्चा से पाण्डोपारा	बैकुण्ठपुर, खाडा, पटना, गिरजापुर
117.	चर्चा से पाण्डोपारा	अमहर, छिदिया, तरगंवा, खांडा, बैकुण्ठपुर
118.	गणेशपुर से चिरमिरी	बरबसपुर, चिरमी, पोंडी, खडगंवा
119.	चोटिया से बैकुण्ठपुर	कोरबी, सेमीना, पोंडी, खंदोरा
120.	कोडा से बैकुंठपुर	देवाडांड, पोडीडीह, दुबछोला
121.	डुमरिया से जरौंधा	तेंदुआ, खांडा, बैकुंठपुर, दुबछोला, खडगंवा, देवाडांड
122.	चरचा से पण्डोपारा	बैकुंठपुर, खाडा, अमहर, पटना
123.	तारा से अंबिकापुर	प्रेमनगर, नमना, उमेश्वरपुर, सुरता, पोडी, श्रीनगर, पटना, केतका, सूरजपुर, विश्रामपुर, सुखरी, साडवार.
124.	चिरमिरी से अंबिकापुर	बचरापोडी, सिरमिना, कोरबी, चोटिया, मोरगा, तारा, उदयपुर, लखनपुर
125.	पेण्ड्रा से अंबिकापुर	कोटमी, पसान, कोरबी, चोटिया, मोरगा, तारा, उदयपुर, लखनपुर
126.	पत्थलगांव से धौराभाठा	राजपुर, लैलूंगा, तोलगे, तमनार
127.	पेण्ड्रारोड से पडौर	पेण्ड्रा, मझगंवा, धनपुर, भरीडांड, मरवाही, बरोर, आमाडांड, पयारी, भालूमाडा, कोतमा, बदरा, जमुना, परासी.
128.	पेण्ड्रारोड से बेलझरिया	लालपुर, बैंकटनगर, आमाडांड, धरहर, सिवनी, पण्ड्री, मरवाही, बरौर, उषाढ़
129.	रायगढ़ से गढ़वा रोड स्टेशन	घरघोडा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर, बतोली, अंबिकापुर, रामानुजगंज, रंका, गढ़वा.
130.	रायगढ़ से हरिहरगंज	घरघोडा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, रंका, गढ़वा, गढ़वारोड, स्टेशन, पडवामोड, छतरपुर.
131.	सनावल से गढ़वारोड	रामचन्द्रपुर, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा

रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत

1.	पण्डरी बस स्टैण्ड रायपुर से नवागांव, गोढ़ी, तोडगांव, बडगांव, मुंगेसर, चन्द्रखुरी फार्म, चन्द्रखुरी बस्ती, पचेडा, नरदहा, ज्ञानगंगा स्कूल पण्डरी बस स्टैण्ड, रायपुर.	
2.	रायपुर से बिरकोल	आरंग, पिथौरा, बसना, सरायपाली
3.	बोरी से दुर्ग	डोमा, नवागांव, बैलोदी, चिखली
4.	सिमगा से भाटापारा	दामाखेडा, लिमतरा, रोहरा
5.	तिल्दा से गण्डई	सिमगा, बेमेतरा, बिरोडा, साजा
6.	खरोरा से अमोदी	भैंसा, कोरासी, चोरभट्टी, संकरी, तुलसी, कंसौटा
7.	रायपुर से रसेला	अभनपुर, राजिम, कोपरा, गरियाबंद, पिपरछेड़ी, मदनपुर, परसुलीडीह, मालगांव, बारूका.
8.	महासमुंद से गरियाबंद	फिंगेश्वर, बोरसी, तरीघाट, पाण्डुका
9.	जगदलपुर से मलकानगिरी	चांदली, कोटपाड, बोरीगुमा, जैपुर, व्यापारीगुडा, गोविन्दपाली, माथिली
10.	रायपुर से बैहर	धमधा, गण्डई, साल्हेवारा, साल्हेटेकरी, दमोह, बिरसा, मलाजखण्ड, मोहगांव
11.	रायपुर से बरगढ़	आरंग, नदी, तुमगांव, पिथौरा, बसना, सरायपाली, सोहेला
12.	रायपुर से गढ़वारोड	बिलासपुर, कटघोरा, उदयपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, गढ़वा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक 2612/891/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1422/891/32/2006 दिनांक 12-07-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोहडिया	554,	11.67 एकड़	प्रस्तावित वृक्षारोपण	औद्योगिक
		555,	4.773 हेक्टर	प्रस्तावित वृक्षारोपण	
		588,		आवासीय, रेलवे लाईन, कृषि एवं मार्ग	
		589,		मार्ग एवं आवासीय	
		590,		मार्ग एवं आवासीय	
		591,		कृषि, रेलवे लाईम एवं मार्ग	
		593,		आवासीय एवं रेलवे लाईन	
		594,		कृषि, आवासीय एवं रेलवे लाईन	
		595 में से		कृषि एवं मार्ग	
		654 में से		आवासीय एवं पशु उद्यान	
		655,		पशु उद्यान	
		663/2 एवं 663/3		पशु उद्यान एवं केनाल	
		714, 715, 716/1, 716/2		पशु उद्यान	
		717/1 में से, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 719, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2 एवं 729			

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 188/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-5, खरसिया.	सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक क/5673/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	बीजापुर	धनोरा-तोयनार	12.05	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम बस्तर संभाग, बीजापुर.	धनोरा - तोयनार मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खड़गवां प. ह. नं. 1	0.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर क्रमांक 1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	जोबी प. ह. नं. 2	0.182	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर क्रमांक 1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खम्हार प. ह. नं. 4	4.819	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर क्रमांक 2,3 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गांडापाली प. ह. नं. 4	0.930	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर क्रमांक 4 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	जोबी प. ह. नं. 2	1.949	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कोठीकुंडा प. ह. नं. 4	2.487	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोराई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	काफरमार प. ह. नं. 2	14.207	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	दर्रीपारा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक/02/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमन्द	महासमुंद	कौहाकुड़ा प. ह. नं. 67	0.12	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	बागबाहरा पिथौरा मार्ग पर कउहा कुड़ा नाला पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2007.

क्रमांक/03/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुंद	सम्हर प. ह. नं. 67	0.11	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	बागबाहरा छुईया मार्ग पर कउहा कुंड़ा नाला पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक/04/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04 अ/82/सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुंद	पीढ़ी प. ह. नं. 2	0.20	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	गढ़सिवनी, मोहकम मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10043/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बैहाटोला प. ह. नं. 2	4.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजी गंजा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10045/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	गहिराटोला प. ह. नं. 2	2.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजी गंजा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10046/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मारूटोला प. ह. नं. 2	0.67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजी गंजा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10047/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	ओडिया प. ह. नं. 28	18.230	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	ओडियां जलाशय के डूबान में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

क्रमांक/10048/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	तिलई प. ह. नं. 19	1.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बोरी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	बाडीगांव	0.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	आडपाथर जलाशय योजना के अन्तर्गत उलटनाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	कुम्हडईकला	1.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	"तेल नदी" जल प्लावन योजना के अन्तर्गत गाईड बण्ड हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	सगड़ा	2.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	[illegible] जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/04/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	घुमरापदर	1.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/05/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	घनौरा	5.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/06/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	भैंसमुड़ी	1.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक/6037/अविअ./भू-अर्जन/07/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	फलसापारा	3.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ ग्राम- सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.343 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79/4	0.061
31	0.040
305/1	0.028
79/5	0.061
78/1	0.089
322/1क	0.024
78/2	0.008
319/1ख	0.008
327/2	0.024
योग 09	0.343

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम- लिटाईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161/5	0.024
166	0.036
167	0.049
130/2 क	0.057
164/3	0.049
160	0.020
129/2	0.028
128/2	0.040
योग 08	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21 /अ-82/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ ग्राम- खड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.029 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	822/3	0.029
योग	01	0.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हार-खड़गांव मार्ग पर बोराई सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ ग्राम- सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.250 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	698/1	0.125
	698/2	0.125
योग	02	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया, तुरेकेला, सरवानी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 6 अ -82-2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम- रतनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.717 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
109/1	0.145
109/2, 107	0.024

(1)	(2)
199/1	0.021
106/1	0.069
153	0.049
175	0.057
190/1	0.024
190/2	0.032
190/3	0.061
156	0.081
188	0.081
201, 188/2	0.020
198	0.053
योग	0.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- चांपी मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

प्र. क्र. 8/अ-82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ ग्राम- सोढ़ा कलॉ, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.917 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर) (2)
103	0.004
104/1	0.121
104/2	0.053
107	0.012
108	0.012
110	0.040
143,142,144	0.162
113/8	0.028
113/2	0.032
113/9	0.028
113/11	0.049
102/3	0.146
104/3	0.202
106	0.008
105	0.020
योग 15	0.917

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

प्र. क्र. 20/अ/82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ ग्राम- मजूर पहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 83.18 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/2	1.84
2/4	1.36
2/5	0.25
2/7	1.40

(1)	(2)
2/8, 2/9	2.65
4/1	1.45
4/2	0.18
4/4, 4/7	2.01
4/3, 4/5	0.86
4/6	1.00
5, 6	0.66
8	0.52
10/1	0.54
10/2	0.53
11/1	0.03
11/2	0.03
12/1	0.18
12/2	0.60
12/3	0.12
13/1	1.63
13/2	0.18
13/3, 13/7	0.26
13/4, 17	1.15
13/5	0.34
13/6	0.10
13/8	0.10
13/9	1.00
13/10	0.82
13/11	1.05
13/13	0.16
14/1	0.90
85/1	0.48
85/2	0.23
85/3	0.23
86/1	3.90
86/2	0.94
86/3	1.16
86/4	0.50
86/5	0.90
86/6	0.33
86/7	0.24
86/8	0.28
86/9	0.60
86/10	0.58
86/11	1.04
86/12	0.42
86/13	1.65
86/14	0.58
86/15	1.15

(1)	(2)
86/16	0.50
87	1.00
91	0.69
92	0.42
93	0.85
94	0.42
95	1.45
96	0.36
97/1	0.12
105	0.41
106	1.23
107/1	0.42
107/2	0.40
107/4	0.62
109/2	1.50
109/3	0.11
114, 117/2	2.59
115	0.40
121/1	2.32
121/2	0.28
121/3	2.20
121/4	0.83
121/5	0.40
121/6	0.40
121/7	0.26
121/8	1.85
122/1	0.08
122/2	0.21
123	0.07
124	0.17
125	0.09
126, 127, 131/1, 138/1, 139/1	2.00
128/2	0.88
129/2	0.24
131/4	0.30
134	1.12
137	4.75
140	0.38
141	0.30
142	0.13
143	0.18

(1)	(2)
144/1	0.50
144/2	0.25
145	0.50
146, 148/2 ख, 148/2 ग	0.81
147/1	0.20
147/2	0.02
148/1	1.00
148/2 क	0.20
150/1	0.52
150/2	0.40
150/3	0.18
150/4	0.30
150/5	0.10
150/6	0.46
150/7	0.60
151/1	0.08
152	0.22
153	0.10
155, 154/1	1.18
154/2, 166/1	0.73
156	1.49
169/1	0.44
169/2	0.43
169/3	0.43
योग	83.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - कबीरधाम जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 07/अ-82/वर्ष 2006-07.--- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम- परसुलीडीह, प. ह. नं. 126/7
(घ) क्षेत्रफल - 0.340 हेक्टेयर

खसरा नंम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.340
योग	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तरीघाट सेतु निर्माण पहुंच मार्ग हेतु आरंग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग, अभनपुर अनु. के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 26/अ/82/वर्ष 2004-05.---चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम- लभाण्डीह, प. ह. नं. 113
(घ) क्षेत्रफल - 20.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	2.837

(1)	(2)
100	0.214
101	0.914
102	0.308
138	2.567
710	0.146
711	2.173
716	0.275
718	7.264
737	2.205
753	1.829
योग 11	20.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आवासीय योजना हेतु कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/10 अ/82 वर्ष 2005-06/12561.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम- सिलघट
- (घ) क्षेत्रफल - 0.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
224	0.01
225	0.02
227	0.02
231	0.06
योग 04	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खारून नदी सेतु के पहुँच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक 5670/भू-अर्जन/06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(i) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम- नैमेड़,प. ह. नं. 25 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.868 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/3	0.084

(1)	(2)
88	0.024
74	0.040
42	0.004
42	0.008
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.004
42	0.008
306/2, 306/3	0.006
309/2	0.004
311	0.024
38	0.022
27/2	0.070
314	0.100
35/2	0.006
33/1	0.012
33/2	0.006
317/2	0.004
317/1	0.006
32	0.006
32/449/7 ख	0.002
319/1	0.004
32/449	0.004
318/3	0.006
319/3	0.004
32/449	0.004
32/449/8 ख	0.002
32/449	0.002
21/6	0.006
30/3	0.036
319/4	0.004
319/5	0.004
319/6	0.004
30/11 ख	0.002
30/10	0.004
30/9	0.004
21/3	0.010
28/1	0.088
27	0.092
324/2	0.084
306/4	0.036
योग 48	0.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सड़क चौड़ीकरण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक -क/1030/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- मेंढ़ापाली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.19 एकड़/ हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97/2	0.19
योग 1	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/1032/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- मड़वा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.28 एकड़/ हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
354/1, 355/1	0.04
1	0.10
382/1	0.06
383	0.10
384/1	0.03
414	0.02
410	0.17
413/1	0.13
415/1	0.21
415/2	0.06
422	0.11
428/3	0.20
421	0.03
423	0.10
424/2	0.11
424/1	0.12
426	0.11
428/1	0.08
428/2	0.13
443/2	0.11
737	0.04
735	0.10
435/1	0.12
योग 23	2.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बिनौधा माइनर, सुरसी माइनर एवं सुरसी सब माइनर निर्माण .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/1034/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटेसरा, प. ह. नं. 15
- (घ) क्षेत्रफल - 2.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
375/1, 2	0.07
374, 376	0.10
377	0.11
373	0.01
378/3	0.01

(1)	(2)
366/1	0.08
364	0.24
356/1	0.11
358/1, 2	0.18
510/1	0.04
335	0.11
330	0.19
508/2	0.11
520	0.12
521	0.05
536	0.13
522/2	0.24
525/1, 524	0.24
527	0.01
योग 19	2.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के काशीडीह माइनर क्र.-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक -क/1036/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- मौहापाली, प. ह. नं. 15
- (घ) क्षेत्रफल - 1.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/1	0.10
1	0.17
3	0.01
8	0.07
7/4	0.02
7/3	0.05
11/2	0.13
12/1	0.41
13/3 ख	0.03
13/4	0.08
14/2	0.18
15	0.14
योग 12	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर क्र.-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक -क/1038/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- सुरसी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.83 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
461/1	0.15
461/2	0.13
462	0.03
494/2	0.02
465	0.08
500/3	0.09
467	0.12
468	0.06
490	0.11
495/1	0.01
494/1	0.16
497/1	0.10
498/1	0.10
498/2	0.01
499	0.14
500/2	0.08
529/1	0.08
529/2	0.08
531	0.19
532	0.09
योग 20	1.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. सुरसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक क/1040/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- पेंडरूवां प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.27 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1054/1	0.07
1053	0.09
1051	0.11
योग 3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. खोरसिया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 189/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम- भांटा, प. ह. नं. 10
- (घ) क्षेत्रफल - 0.404 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111	0.299

(1)	(2)
113/2 क, 113/2 ख	0.105
योग	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)
शास्त्री चौक, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्र. 03/मिस/तक. शा./2004/140.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम चिरुलडीह एवं ग्राम कोटा के अंतर्गत आवासीय योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव रखता है.

चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

1. **ग्राम चिरूलडीह, प. ह. नं. -** 106 ब

	उत्तर में	-	ग्राम चिरुलडीह एवं कोटा का सरहद तथा ग्राम चिरुलडीह एवं गुढ़ियारी का सरहद.
	पूर्व में	-	खसरा नं. 856/3, 869/1, 837/7, 839/15 का भाग, 838/4 का भाग, 838/14, 838/12 का भाग, 806/2, 838/12, 812/2, 818, 868/1 ख.
	दक्षिण में	-	नहर (स्थल पर सड़क)
	पश्चिम में	-	चिरुलडीह कोटा सरहद

2. **ग्राम कोटा प. ह. नं. -** 107

I-	उत्तर में	-	ग्राम गुढ़ियारी से कोटा सड़क
	पूर्व में	-	ग्राम कोटा एवं गुढ़ियारी सरहद तक
	दक्षिण में	-	ग्राम कोटा एवं चिरुलडीह का सरहद तक
	पश्चिम में	-	नहर (स्थल पर सड़क) तक

II- उत्तर में - रेल्वे लाईन तक

पूर्व में - तालाब की पश्चिमी मेंढ़, खसरा नं. 113/3, 113/12, 113/5

दक्षिण में - खसरा नं. 164, 167, 64/1, 64/2, 65, 66, 67/(1, 2, 3, 4, 5), 68/1, 68/2, 188, 189, तालाब.

पश्चिम में - कोटा एवं डूमरतालाब का सरहद

Raipur, the 3rd January 2007

Form XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

क्र. 03/मिस./तक. शा./2004/140.— It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of Section 50 at the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Chirhuldih and Kota Housing Scheme under Village Chirhuldih and Kota.

BOUNDARIES ARE AS FOLLOWS -

1. **Chirhuldih Housing Scheme -**

North - Boundary of Chirhuldih & Kota and boundary of Chirhuldih & Gudhiyari.

East - Kh. No. 856/3, 869/1, 837/7, 839/15 Part, 838/4 Part, 838/14, 838/12 Part, 806/2, 838/12, 812/2, 818, 868/1 Kha.

South - Canal (on Spot Road)

West - Boundary of Chirhuldih & Kota

2. **Kota Housing Scheme -**

I. North - Gudhiyari-Kota Road

East - Boundary of Kota-Gudhiyari

South - Boundary of Kota & Chirhuldih

West - Canal (on Spot Road)

II. North - Railway Line

East - West side of Tank, Kh. No. 113/3, 113/12, 113/5

South - Kh. No. 164, 167, 64/1, 2, 65, 66, 67/1 to 5, 68/1, 68/2, 188, 189, Talab.

West - Boundary of Kota & Domartalab

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह

(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्रमांक 17/मिस./तक. शा./2007/04.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम रायपुरा के अंतर्गत रायपुरा आवासीय योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

चतुर्सीमा निम्नानुसार है —

रायपुरा योजना :-

उत्तर	-	खसरा नंबर 71/1, 71/3, 72/1 एवं 72/2
पश्चिम	-	नाला खसरा नंबर 473
दक्षिण	-	सड़क खसरा नंबर 126
पूर्व	-	खसरा नं. 94/1, 94/2, 95, 96 एवं 101, 102

Raipur, the 12th January 2007

Form XIII

(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

क्रमांक 17/मिस./तक. शा./2007/04.— It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of Section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Raipura Residential Scheme under Village Raipura.

BOUNDARIES ARE AS FOLLOWS -

North	-	Khasra No. 71/1, 71/3, 72/1 & 72/2.
West	-	Nalla Khasra No. 473
South	-	Road Khasra No. 126
East	-	Khasra No. 94/1, 94/2, 95, 96, 101 & 102

श्याम बैस,
अध्यक्ष

छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

बीज भवन (भू-तल) रविग्राम तेलीबांधा रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक /बी-1/2-1/89/2006-07/4990.— निर्वाचित कृषि उपज मंडी समिति रायपुर का कार्यकाल दिनांक 14/03/2005 को समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7506 दिनांक 12/03/05 द्वारा उपसंचालक, कृषि (परियोजना कार्यपालन अधिकारी) रायपुर, जिला रायपुर को मंडी समिति रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति किया गया है. उक्त आदेश के परिपालन में श्री एस. आर. वर्मा, उपसंचालक, कृषि, (परियोजना कार्यपालन अधिकारी) रायपुर, जिला रायपुर वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति, रायपुर में भारसाधक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. छ. ग. शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक

एफ-1-3/2006/14-1 दिनांक 29-12-2006 द्वारा श्री एस. आर. वर्मा, उप संचालक, कृषि को संयुक्त संचालक, कृषि के पद पर पदोन्नत कर, संचालनालय कृषि, रायपुर में पदस्थ किया गया है.

वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति रायपुर के निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा श्री वर्मा इस कार्य में संलग्न है. अत: छ. ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा-57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा श्री एस. आर. वर्मा, संयुक्त संचालक, संचालनालय कृषि, रायपुर को, आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उपज मंडी समिति, रायपुर के भारसाधक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है.

एच. एल. प्रजापति,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th December 2006

No. 177/II-14-1/2006.— Shri Pooran Singh Thakur, Assistant Registrar of this High Court is appointed to the post of Deputy Registrar by way of promotion in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in officiating capacity for a period of two years with immediate effect.

Bilaspur, the 25th December 2006

No. 178/II-14-1/2006.— Shri M. P. Bisoi, Assistant Registrar of this High Court is appointed to the post of Accounts Officer by way of promotion in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in officiating capacity for a period of two years with immediate effect.

Bilaspur, the 25th December 2006

No. 179/II-14-1/2006.— Shri Manish Hande, Deputy Registrar of this High Court is appointed by promotion to the post of Additional Registrar (M) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in officiating capacity for a period of two years with immediate effect.

Bilaspur, the 25th December 2006

No. 180/II-14-1/2006.— Shri Brajesh Mishra, Deputy Registrar of this High Court is appointed by promotion to the post of Budget Officer in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in officiating capacity for a period of two years with immediate effect.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 849/Confdl./2006/II-3-14/2000.— On the request of Ku. Sangeeta Shukla, the then IV Civil Judge Class II, Bilaspur, she is, hereby, permitted to change her name to "Smt Sangeeta Naveen Tiwari." It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 851/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 26-10-2006 of Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, Registrar (I. & E.) High Court of Chhattisgarh, Bilaspur requesting for change of his home District. Permission is hereby granted to change his home District from Bilaspur to Janjgir-Champa with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 853/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 16-10-2006 of Shri Ram Prasanna Sharma, Additional District & Sessions Judge, Dhamtari requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 855/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 10-10-2006 of Shri A. L. Nimonkar, Principal Judge, Family Court, Durg requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December,2006

No. 857/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 09-10-2006 of Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 859/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 10-10-2006 of Shri Surendra Tiwari, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 861/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 13-10-2006 of Shri G. L. Sonwani, the then III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Kawardha requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Bilaspur to Janjgir-Champa with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 29th December 2006

No. 863/Confdl./2006/II-2-99/2001.— On the application dated 12-10-2006 of Shri M. D. Jagdalla, the then III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Raigarh requesting for change of his home District, permission is hereby granted to change his home District from Raipur to Mahasamund with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 30th December 2006

No. 867/Confdl/2006/II-1-1/2003.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-11019/1/2006-U. S. II dated 29th December 2006 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice L. C. Bhadoo, Seniormost Judge of Chhattisgarh High Court shall perform the duties of the office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh with effect from 1st January, 2007.

Bilaspur, the 30th December 2006

No. 6729/J. O. T. I./2006/II-15-66/2001(Pt.II).— On the Subject and reference mentioned above as directed, I am to inform that Training of 16 Newly appointed Civil Judges Class-II 2006 Batch which was scheduled to be held from 05-01-2007 to 3-02-2007 has been re-scheduled to start from 09-01-2007 to 07-02-2007. Therefore, the nominee Judges working in the establishment may be directed to report at JOTI, Bilaspur on 08-01-2007 a. n. instead of 04-01-2007.

By order of the Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar, General.

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक 315/जे. ओ. टी. आई./2007.— श्री एम. के. तिवारी, निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-12-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि (दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005) के लिए दिनांक 1-10-2005 से उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडिशनल रजिस्ट्रार (लेखा).